न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी ,
जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
18/2019	अपील	13.12.2019	15.11.2021

रतनलाल पुत्र श्रीया गुर्जर, निवासी– बाढ़ मिलकपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

–रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय दिनांकः15.11.21

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार तलावडा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रतनलाल मुकदमा नं0 452/15 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वर्तमान में अपीलार्थी का भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.20 हेक्टर वाके ग्राम बाढ़ मिलकपुर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत् 2072 में गेहूँ की फसल काश्त की है। जिस पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है जिसमें अपीलार्थी को नोटिस जारी किया उक्त नोटिस की तामील होने पर अपीलार्थी न्यायालय नायब तहसीलदार तलावड़ा में हाजिर हुआ तथा अपने पक्ष रखते हुए वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि पर अपना कोई कब्जा नही होने के बात कही जिस पर नायब तहसीलदार ने कहा ठीक है पेनल्टी जमा करा देना तथा भविष्य मे भी कब्जा मत करना। यह कहते हुए अपीलार्थी को वापस जाने को कहा तथा पेनल्टी जमा करवा ली गई। परन्तु इसके बाद नायब तहसीलदार, तलावड़ा ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को 60 दिवस की सिविल कारावास तथा लगान 2.96 का 50 गुणा शास्ति कुल 148/रूपये के आर्थिक दण्ड के आदेश पारित कर दिए। जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

2. अदालत मातहत द्वारा पारित यह निर्णय वास्तविक तथ्यों के विपरीत है क्योंकि मौके पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नही है। साथ ही अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही अदालत मातहत द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर 60 दिवस का सिविल कारावास तथा लगान 2.96 का 50 गुणा शास्ति कुल 148/रूपये के आर्थिक दण्ड के आदेश पारित कर दिए जबकि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे भी नही आता है । उक्त तर्कों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। चूंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नही थी परन्तु अचानक दिनांक 3.02.2019 को जब पुलिस अपीलार्थी का वारण्ट लेकर घर पहुँची तो घर वालों द्वारा पूछने पर पुलिस द्वारा अपीलार्थी का सरकारी भूमि पर कब्जा होने को बताया। जिसकी सूचना घर वालों द्वारा अपीलार्थी को टेलीफोन पर दी गई तो अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार तलावडा के यहां जाकर प्रकरण की जानकारी की तथा दिनांक 04.12.2021 को उक्त फैसले की नकल प्राप्त की तब अपीलार्थी को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई। उक्त अपील उचित कोर्ट फीस तथा होने जानकारी से अन्दर मियाद पेश हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से पेश किया गया है। अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को है। अन्य उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगें।

3. अपीलार्थी ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय नायव तहसलीदार, तलावडा दिनांक 03..09.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेण्ट जरिए नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलव की गई। रेस्पोन्डेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

5. वहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने एकपक्षीय बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी का उक्त प्रश्नगत भूमि पर कोई अतिक्रमण नही हैं उसने अपना अतिक्रमण छोड दिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

6. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया । वकील अपीलार्थी द्वारा की गई एकपक्षीय वहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

7. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित मे स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाएगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायव तहसीलदार, तलावडा के समक्ष पेश करे। नायव तहसीलदार, तलावडा स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करें कि अपीलार्थी/वारिसान ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा उक्त कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाएगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, तलावडा के समक्ष पेश करे। नायव तहसीलदार, तलावडा स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा की अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपनी कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थीगण यदि उक्त शर्तों की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल संवंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी(स0मा0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)